उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 206/2020 — अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बाबूदान पुत्र शम्भूदान 2. केशरदान पुत्र शम्भूदान 3. हिंगलाजदान पुत्र शम्भूदान 4. धापूदेवी पत्नी शम्भूदान 5. मोहनदान पुत्र शम्भूदान प्रार्थी संख्या 1 से 4 जरिये खास मुख्तियार प्रार्थी संख्या 5 मोहनदान पुत्र शम्भूदान जाति चारण, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. सायरकंवर पत्नी मासिंगदान 3. मासिंगदान पुत्र सुरतदान जाति चारण, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. वरिष्ठ भू वैज्ञानिक खान एवं भू विज्ञान विभाग बाड़मेर 5. तिलोकदान पुत्र मासिंगदान जाति चारण, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री देवीलाल कुमावत।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 4 :— नरेन्द्रसिंह सियाग।

उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला बाड़मेर

—:: आदेश ::—

दिनांक : 29.05.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 133/76 रकबा 37.10 बीघा अर्थात 6.0703 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी का मूल खेत खसरा नम्बर 76/7 रकबा 75.00 बीघा था, उक्त भूमि करीम वल्द अजीम को आवंटन हुई थी। करीम के फौत होने पर उक्त आराजी का नामांतरकरण उनकी पुत्रियों के नाम दर्ज हुआ। पुत्रियों में से बगतू व नेनू द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा शम्भूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह को बेचान कर कब्जा दिया गया। तत्पश्चात् शम्भूसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा शम्भूदान पुत्र बादरदान को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया गया। शम्भूदान के फौत होने पर उनके वारिशान प्रार्थीगण के नाम रेकर्ड में दर्ज किये गये है। तत्पश्चात उक्त खसरे में से मीमो पुत्री करीम ने अपना हिस्सा विप्रार्थीनी संख्या 2 सायर कंवर को बैचान किया गया तथा हरखू पत्नी कलाराम से विप्रार्थी संख्या 3 द्वारा भूमि क्रय की गई। उक्त भूमि क्रय के समय जो नजरी नक्शा दर्शाया गया है, इसी अनुसार कब्जा काश्त था एवं आज भी लगातार चला आ रहा है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका मुआयना किये तरमीम कर दी जाने से उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 133/76 व 186/133 में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार शिव द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति का जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 5

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा उक्त तरमीम दुरस्ती किये जाने बाबत् अपनी सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। उक्त विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए उपस्थित मौतबिरान द्वारा मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट में मौके पर उपस्थित मौतबिरान् द्वारा तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। तहसीलदार शिव द्वारा भी जवाब पेश कर उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है तथा विप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता सहमति जवाब पेश किया गया है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 133/76 रकबा 37.10 बीघा अर्थात 6.0703 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव * जिला-बाड़मेर *

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 29.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner